

दिनांक : 20.12.2022

आदेश

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। थाने की आख्या संलग्न है। बार—बार पुकार के बाबजूद न तो आवेदक स्वयं उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु उपस्थित हुए। विगत कई तिथियों से प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेदक अब प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

सी०जे०एम०
इलाहाबाद।